

वीर नारी/विधवाओं को स्वयं सहायता उद्यम हेतु एकीकृत निधि से ₹ 1,00,000/—  
(एक लाख रुपये) मात्र की आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र।

भाग — "क"

(आवेदिका का विवरण)

हाल का पासपोर्ट  
फोटो चिपकाए

1. आवेदिका का नाम (पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ).....  
भूतपूर्व सैनिक/पति का न०.....रैंक .....नाम .....अलंकरण .....
2. रेजिमेंट/कोर .....
3. स्थाई पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :  
ग्राम ..... पोस्ट .....जिला .....
- पिन .....मोबाईल न० .....
4. पत्राचार पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :  
ग्राम ..... पोस्ट .....जिला .....
- पिन .....मोबाईल न० .....
5. सेना में भर्ती की तिथि .....
6. सेना से निवृत्ति/मृत्यु की तिथि .....
7. सेना से निवृत्ति का कारण .....
8. अनुमोदित प्रोजेक्ट/कार्य का विस्तृत विवरण जिसके लिए उद्यम स्थापित करना है .....  
(संबंधित प्रमाण/पत्र संलग्न करें)
9. बैंक का नाम एवं पता .....
10. बैंक का खाता संख्या .....
11. बैंक का IFSC/NEFT कोड .....

(बैंक पासबुक के पहले पन्ने की  
छायाप्रति संलग्न करें जिसमें खाता  
संख्या तथा IFSC/NEFT कोड दर्ज हो)

घोषणा

मैं प्रमाणित करती हूँ कि मैंने इस मद में पूर्व में किसी भी स्रोत से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं किया है एवं उपर्युक्त विवरणी सही है।

दिनांक :

आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

नाम : .....

नोट : आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

- |  |  |
|--|--|
| 1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति              | 2. पेंशन अदायगी आदेश (PPO) की छायाप्रति  |
| 3. आधार कार्ड की छायाप्रति                 | 4. जि०सै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र  |
| 5. बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति | 6. संबंधित स्वयं सहायता समूह संस्थान द्वारा निर्गत/उद्यम से संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र |

**खण्ड – "ख"**

(संबंधित संस्थान द्वारा भरा जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि :-

12. लाभार्थी का नाम .....पत्नी स्व० श्री ..... ने इस संस्थान से सत्र ..... में तकनीकी कोर्स ..... सफलतापूर्वक पूरा किया।
13. यह महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन्हे सत्र .....के लिए अन्य किसी श्रोत से अनुदान अनुशंसित नहीं किया गया है।

दिनांक : महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

**खण्ड – "ग"**

(कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन)

14. आवेदिका का विवरण तथा दस्तावेजों को जाँचा गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है एवं अनुदान भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर  
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

15. कल्याण व्यवस्थापक श्री .....के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को शिक्षा अनुदान भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी, .....

**खण्ड – "ग"**

सैनिक कल्याण निदेशालय

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹ .....(रूपये ..... मात्र) आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : सहायक निदेशक  
सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची

17. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹ .....(रूपये ..... मात्र) आर्थिक सहायता भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक : निदेशक  
सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची